

**सार्वजनिक सूचना**

(मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अंतर्गत)

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र दिनांक 12.11.2014 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14.11.2014 में प्रकाशित अधिसूचना के परिपालन में म.प्र. शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत प्रस्तावित निम्नानुसार नीचे दर्शाई गई अनुसूची के कालम क्र. 2 में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कालम न. 3 एवं 4 अनुसार भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन, सोलिया बैराज परियोजना अंतर्गत प्रभावित होने से भूमि की आवश्यकता है:-

:: अनुसूची ::

**भूमि का वर्णन**

(क) ग्राम :- खरवट (ख) तहसील :- डही  
 (ग) जिला :- धार (घ) लगभग क्षेत्रफल :- 0.835 हेक्टर

अ. क्र.	भूमि धारक का नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	क्रय नीति के तहत प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर में
1	2	3	4
1	भलसिंह पिता छीतू जाति भीलाला निवासी ग्राम खरवट तह. डही	2/1/2	0.100
		7/2, 8/2	0.040
		7/4, 8/4, 9/1	0.012
2	दलसिंह पिता छीतू, ईडा, दशरथसिंह, पातलसिंह, बाबूसिंह जगतसिंह पिता दलसिंह जाति भीलाल निवासी खरवट तह. डही	7/3/1, 2/1/7	0.030
3	नारायण पिता दलसिंह जाति भीलाला निवासी खरवट तहसील डही	2/1/3	0.021
		7/3/3	0.018
4	कुशल पिता दलसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खरवट तह. डही	7/3/2	0.018
5	नानभाई पिता दलसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खरवट तह. डही	4/1, 5/1	0.104
6	खूमसिंह पिता जामसिंह जाति भीलाला निवासी खरवट तह. डही	4/2, 5/2	0.104
7	राल्या पिता रामसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खरवट तह. डही	5/3	0.078
8	वेस्ता पिता दलसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खरवट तह. डही	4/3, 5/4	0.078
9	साधुसिंह पिता तेरसिंह, रानुबाई बेवा तेरसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खरवट तहसील डही	6/1	0.035
10	नरसिंह पिता भीलू जाति भीलाला निवासी ग्राम खरवट तह. डही	6/2	0.035
11	इडला पिता भीलू, सेलबाई बेवा भीलू जाति भीलाला निवासी ग्राम खरवट तहसील डही	6/3	0.035
12	बोंदरसिंह पिता भीलू जाति भीलाला निवासी ग्राम खरवट तह. डही	6/4	0.035
13	मुकामसिंह, माधुसिंह पिता सोमारिया जाति भीलाला निवासी ग्राम खरवट तहसील डही	6/5	0.046
14	मलसिंह पिता छीतू जाति भीलाला निवासी ग्राम खरवट तह. डही	7/1, 8/1	0.046
<b>योग</b>			<b>0.835</b>

2. उपरोक्त कृषकों की भूमि सोलिया बैराज निर्माण अंतर्गत प्रभावित होने से शासन पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग संभाग अजीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
 आदेशानुसार

(आलोक कुमार सिंह)  
 कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,  
 म.प्र. शासन राजस्व विभाग,  
 जिला धार (म.प्र.)